



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP00870638899411V

e-Stamp

प्रभाव कुमार, रिश्ते रादीर  
कलेक्ट्रेट परिसर, मथुरा  
ACC-UP14288104/100

Certificate No.	: IN-UP00870638899411V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 03:04 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14288104/ MATHURA SADAR/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1428810497319248551044V
Purchased by	: PT A K SHARMA COLLEGE OF PHARMACY ADUKI MTR
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: PT A K SHARMA COLLEGE OF PHARMACY ADUKI MTR
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: PT A K SHARMA COLLEGE OF PHARMACY ADUKI MTR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

2100210021002100



Please write or type below this line

IN-UP00870638899411V



VIMAL KISHORE MATHUR  
Advocate, Notary Public, Mathura

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shrestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

हम MEERA SHARMA (नाम अध्यक्ष) एवं ASHOK KUMAR SHARMA (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव PT NINUARAM SHIKSHA SAMITI, ADUKI, MATHURA (सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा PT AK SHARMA COLLEGE OF PHARMACY, MATHURA ( संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सन 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम MATHURA ( पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 624 एवं 0.514 रकवा क्रमशः एवं 0.514 हेक्टेयर (कुल रकवा 0.514 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा 624 रकवा क्रमशः एवं 0.514 हेक्टेयर (कुल रकवा 0.514 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02-06-2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी परिषद/ विश्वविद्यालय अन्य द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं आभिलेख, दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निर्माणानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी कानूनी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

Notary Public  
District near Quarter, Mathura

Meera Sharma  
हो अध्यक्ष